न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 5/15 **निर्णय दिनांकः– 14-11-23**
(जीसीएमएस संख्या 2015/00226)

1. फूसाराम पुत्र भैराराम जाति ब्राहमण निवासी नोखामण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. सुखाराम पत्रु लालूराम जाति जाट निवासी शोभोलाई तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 24–05–2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 24–05–2003 जिसके द्वारा अपीलांट् को आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा बतौर भूमिहीन श्रेणी में तहसील पूगल के चक 12 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 166/36 के किला नम्बर 1

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24–05–2003 को उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट् के पक्ष में कर दिया गया। परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित है। इसमें अपीलांट् का कोई दोष नहीं है। अपीलांट् एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट् अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट् को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कथन किया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को निरस्त किये बिना ही आवंटन नियमों के तहत अपीलांट् को उसकी पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटित की जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–05–2003 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19–01–2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से अपीलांट् को सक्षम मानते हुए उपनिवेशन तहसील, पूगल के चक 12 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 166/36 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। आवंटन अधिकारी की पत्रावली में शामिल तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट् को आवंटित भूमि अन्य व्यक्तियों को आवंटित की जा चुकी है तथा अपीलांट् को किया गया आवंटन रद्द नहीं किया गया है। अपीलांट् को भूमि पर कब्जा न मिलने तथा पश्चात्वर्ती आदेश के तहत अन्य को आवंटित कर दिये जाने से अपीलांट का हक समाप्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट् की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् आज भी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–05–2003 यथावत बहाल रखते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए अपीलांट्स के आवंटन के संबंध में पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.11.23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर